This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2024 / 28 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002 the 11th November, 2024

No. Agr.-B-F(1)-4/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the **Inter-Departmental Coordination Committee, State Core Team, District Core Team, Block**

Core Team and Cluster Core Team for implementation of HIMKRISHI Scheme. The composition of Committees is as under:—

1. Inter-Departmental Coordination Committee:—

1.	Secretary (Agri.) to the GoHP	*Chairman*
2.	Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh	*Member*
3.	Director of Horticulture, Himachal Pradesh	*Member*
4.	Director of Fisheries, Himachal Pradesh	*Member*
5.	Director of RD and PR, Himachal Pradesh	*Member*
6.	State Project Director-SPNF, Directorate of Agriculture, H.P.	*Member*
7.	Director of Agriculture, Himachal Pradesh	*Member-Secretary*

The Chairman can nominate any other Officer as member and call officers/officials for meeting of the Committee. The above Committee will meet as decided by the Chairman.

Term of Reference for the Inter-Departmental Coordination Committee:—

1. To coordinate with the Inter-Departmental to resolve issue for effective output
2. To monitor the overall progress of the Scheme at the Inter-Departmental level
3. Any other activity which would enhance the output under HIM KRISHI Yojna

2. State Core Team:—

1.	Director of Agriculture, Himachal Pradesh	*Chairman*
2.	Nodal Officer, Animal Husbandry, Himachal Pradesh	*Member*
3.	Nodal Officer, Horticulture, Himachal Pradesh	*Member*
4.	Nodal Officer, Fisheries, Himachal Pradesh	*Member*
5.	Nodal Officer, RD and PR, Himachal Pradesh	*Member*
6.	Joint Director (S&W), Directorate of Agriculture, H.P.	*Member*
7.	Joint Director-SPNF, Directorate of Agriculture, H.P.	*Member*
8.	Nodal Officer, Agriculture, Himachal Pradesh	*Member*
9.	Program In-Charge, HIMKRISHI, Directorate of Agriculture, H.P.	*Member Secretary*

The Chairman can nominate any other Officer as member and call officers/officials for meeting of the Committee. The above Committee will meet as decided by the Chairman.

Term of Reference for the State Core Team:

The SCT will allocate the funds to the District as per their approved action plans.

The SCT will hold monthly virtual meeting and quarterly meetings in physical mode with all the DCTs to review the progress of the Scheme.

1. The SCT will be responsible for the coordination with other line Departments at State Level for smooth implementation of the Scheme.

2. They will also responsible for obtaining necessary approval from State Government for effective implementation of the Scheme.

3. The SCT will be responsible for the coordination with other line Departments at State Level for smooth implementation of the Scheme.

4. They will also responsible for obtaining necessary approval from State Government for effective implementation of the Scheme.

5. Regular/Periodic field visits would be conducted by the SCT for monitoring of the scheme in the State and will submit its report to the authority.

3. District Core Team :—

1.	Deputy Commissioner	*Chairman*
2.	Assistant Director-Project/Extension/CP/SD	*Member*
3.	Representative of Respective Krishi Vigyan Kendra in the District	*Member*
4.	District Agriculture Officer, District Headquarter, Himachal Pradesh.	*Member*
5.	Block Technology Team Convener	*Member*
6.	Agriculture Development Officer, District Headquarter, Himachal Pradesh.	*Member*
7.	Deputy Director of Agriculture, Himachal Pradesh	*Member-Secretary*

The Chairman can nominate any other Officer as member and call officers/officials for meeting of the Committee. The above Committee will meet as decided by the Chairman.

Term of Reference for the District Core Team:

(1) The concerned DCT will check the feasibility of the Annual Action Plan submitted by the BCT.

(2) After assessing the technical feasibility of the Annual Action Plan of the selected Clusters and will accord the BCT wise approval and submit the District consolidated Annual Action Plan to the State Core Team (SCT) for necessary budgetary provision by 15th February.

(3) The DCT will regularly or periodically monitor the activities as per the approved plan of the respective Blocks and outcome of the monitoring would be conveyed to the SCT.

(4) DCT will be fully responsible for maintaining liaison with allied Departments (Animal Husbandry/Rural Development & Panchayati Raj/Diary/Fisheries/etc.) for smooth implementation of integrated activities in the Clusters.

(5) The DCT will hold a joint meeting with all the allied Departments on every 4th of the month or on the next day if it happened to be holiday to review the progress of the scheme and submit its report to State Headquarters on a very next day.

(6) The team will also ensure the documentation of the success story and organization of the field day in the selected Clusters.

4. Block Core Team:—

1.	Subject Matter Specialist	*Conveyer*
2.	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer	*Member*
3.	Representative from Horticulture, Himachal Pradesh	*Member*
4.	Representative from Fisheries, Himachal Pradesh	*Member*
5.	Representative from RD and PR, Himachal Pradesh	*Member*
6.	Agriculture Development Officer	*Member*
7.	Agriculture Extension Officer	*Member*
8.	Assistant Technology Manager/Block Technology Manager	*Member*
9.	Two Progressive Farmers	*Member*

The Chairman can nominate any other Officer as member and call officers/officials for meeting of the Committee. The above Committee will meet as decided by the Chairman.

Term of Reference for the Block Core Team:

(1) BCT will compile the Annual Action Plan of the identified Clusters received from CCT for the financial year up to 30th January and ensure cluster wise submission of the same to the concerned District Core Team (DCT) within weeks' time.

(2) The BCT will be responsible for the implementation of the Departmental interventions according to the approved action plan through CCT.

(3) The BCT will regularly visit the selected Clusters and submit the monthly progress reports to the concerned DCT.

(4) The BCT will submit claim to the DDA and DDA will ensure disbursement of claims within 10 days.

(5) The BCT will do the documentation of the success stories and also organize field days at different clusters. They will also submit these reports to the respective DCT on regular basis.

(6) The CCT may change the approved Annual Action Plan to the tune of 20% for emergent contingent planning with the concurrence of DCT.

5. Cluster Core Team:—

1.	Agriculture Extension Officer	*Conveyer*
2.	Veterinary Pharmacist	*Member*
3.	Key person of the Cluster	*Member*

4.	Two nominated farmers of the Cluster	*Member*
5.	Krishi Sakhi/Progressive farmer of the Cluster	*Member*
6.	Representative of Farmer Producer Organization, if any	*Member*

The Chairman can nominate any other Officer as member and call officers/officials for meeting of the Committee. The above Committee will meet as decided by the Chairman.

Term of Reference for the Cluster Core Team:

1. CCT will identify the Clusters and submit the Annual Action Plan and Budgetary proposal for the Cluster to Block Core Team for final approval up to 15th January.

2. Management of the allocated funds to the cluster as per approved activity

3. Monitoring of the activities throughout the year

4. Record keeping and documentation of the intervention/activities

5. CCT will do monthly meetings for evaluation of the on-going activities and submit the report to the BCT.

6. The CCT may change the approved Annual Action Plan to the tune of 10% only for emergent contingent planning.

By order

Secretary (Agriculture).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2024

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–29/2024–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 28) को दिनांक 13–11–2024 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

2024 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन।

2024 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 13 नवम्बर, 2024 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 3–अ और 3–आ का अंतःस्थापन.——हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"3–अ. दुग्ध उपकर का उदग्रहण और संग्रहण.—(1) ऊर्जा के उपभोग पर 0.10 रुपए प्रति यूनिट की दर से दुग्ध उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगाः

परन्तु शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं से कोई दुग्ध उपकर उद्गृहीत और संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दुग्ध उपकरों की दरों को, किसी समय में, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई उपकर की रकम का उपयोग राज्य में दुग्ध के उत्पादन और उपापन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के उत्थान के लिए किया जाएगा।

3–आ. पर्यावरण उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.—(1) ऊर्जा के उपभोग पर पर्यावरण उपकर निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, अर्थात्:—

उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपकर की दर
लघु औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.02 प्रति यूनिट
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.04 प्रति यूनिट

बड़े औद्योगिक ऊर्जा	रु. 0.10 प्रति यूनिट
वाणिज्यिक	रु. 0.10 प्रति यूनिट
अस्थाई कनेक्शन	रु. 2.00 प्रति यूनिट
स्टोन क्रशर	रु. 2.00 प्रति यूनिट
विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	रु. 6.00 प्रति यूनिटः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ताओं के प्रवर्गों को सम्मिलित, अपवर्जित, श्रेणीकृत या उप–श्रेणीकृत कर सकेगी और उनके सम्बन्ध में उपकर दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण उपकरों की दरों को, किसी एक समय में, प्रचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

(3) संगृहीत की गई रकम का उपयोग,–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने; और

(ख) राज्य में पर्यावरण के संरक्षण करने;

के लिए किया जाएगा ।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Insertion of sections 3-A and 3-B.

Act No. 7 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13th NOVEMBER, 2024

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2024.

2. Insertion of sections 3-A and 3-B.—After section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, the following sections shall be inserted, namely:—

"**3-A. Levy and collection of Milk Cess**.—(1) There shall be levied and collected Milk Cess on consumption of energy at the rate of Rupees 0.10 per unit:

Provided that no Milk Cess shall be levied and collected from the zero bill consumers.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Milk Cess not exceeding 50% at a time, of the rates specified in sub-section (1).

(3) The amount of cess collected shall be utilised to promote the production and procurement of milk and upliftment of the milk producers in the State.

3-B. Levy and collection of Environment Cess.—(1) There shall be levied and collected Environment Cess on consumption of energy, in the following manner, namely:—

Category of Consumers	**Rate of Cess**
Small Industrial Power	Rs. 0.02 per Unit
Medium Industrial Power	Rs. 0.04 per Unit
Large Industrial Power	Rs. 0.10 per Unit
Commercial	Rs. 0.10 per Unit
Temporary Connections	Rs. 2.00 per Unit
Stone Crusher	Rs. 2.00 per Unit
Electrical Vehicle Charging Station	Rs. 6.00 per Unit:

Provided that the State Government may, by notification include, exclude, categorise or sub-categorise the categories of consumers and specify the rates of cess in respect thereto.

(2) The State Government may, by notification revise the rates of Environment Cess not exceeding 50% at a time.

(3) The amount of cess collected shall be utilised to,—

(a) promote the generation of electricity through renewable energy; and

(b) protect environment in the State.".

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 16 नवम्बर, 2024

संख्याः पब–एफ(10)–14 / 2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 2(त) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के समस्त उपायुक्तों को उनके अपने–अपने जिलों में ''विनिर्दिष्ट प्राधिकारी'' के रूप में अधिसूचित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

––––––––––

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-F(10)-14/2019, Dated 16-11-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2024

No. Pub-F (10)-14/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 2(p) of the Press and Registration of Periodicals Act, 2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify all the Deputy Commissioners, H.P. as “Specified Authorities” in their respective districts.

By order,

Sd/-
Secretary (I&PR).

CHANGE OF NAME

I, Muskaan Garg w/o Sh. Saurabh Garg, r/o Near Shitla Mata Mandir, P.O. Taksal, Sub-Tehsil Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) have changed my name from DEEPA to MUSKAAN GARG. Please note.

MUSKAAN GARG
w/o Sh. Saurabh Garg,
r/o Near Shitla Mata Mandir, P.O. Taksal,
Sub-Tehsil Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dalip Kumar s/o Kundan Lal, r/o Village Mamla, P. O. Nanj, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Dalip Kumar to Deepak Thakur. Concerned note please.

DALIP KUMAR
s/o Kundan Lal,
r/o Village Mamla, P. O. Nanj,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kangna Negi d/o Late Sh. Vikram Singh, Village Raholi, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that my name in Aadhar Card is Kamna. I wish it should be corrected as Kangna Negi.

KANGNA NEGI
d/o Late Sh. Vikram Singh,
Village Raholi, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanam Devi w/o Sh. Devinder Singh, Village and P.O. Tikkri, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that the name of my daughter Sonia is registered as Richen in her Aadhar Card which is wrong. So it should be rectified as Sonia.

SANAM DEVI
w/o Sh. Devinder Singh,
Village and P.O. Tikkri,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajender Singh aged 36 years s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village & P.O. Dhawas, Tehsil Chopal, District Shimla declare that I have changed my name from Rajinder to Rajender Singh all concerned please may note.

RAJENDER SINGH
s/o Sh. Mangat Ram,
r/o Village & P.O. Dhawas,
Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 23 / C / 2024 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

श्री गगन सिंह पुत्र कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री गगन सिंह पुत्र कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार स्कूल प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में गगन सिंह दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवार, जानस पनेरा, चढ़ियार खास, डोली कलां में उसका नाम गगन कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम उपरोक्त राजस्व अभिलेख महाल ननवार जानस पनेरा, चढ़ियार खास, डोली कलां में दुरुस्त करके गगन सिंह करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 24 / BDR / 2024 किस्म मुकद्दमाः जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्री रोशल लाल पुत्र मान सिंह, निवासी भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्री रोशल लाल पुत्र मान सिंह, निवासी भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसकी बहन श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री मान सिंह की मृत्यु दिनांक 06–03–2001 को महाल भुन्खेड, उप–तहसील चढ़ियार पर हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत भुलाना में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका व अनुरोध किया है कि इनकी मृत्यु पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 29–10–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 24/C/2024 किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती ईसरां देवी विधवा कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

श्रीमती ईसरां देवी विधवा कृष्ण चंद, निवासी महाल ननवार, उप–तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार परिवार नकल, पेंशन रिकार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में ईसरां देवी दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवार, चढ़ियार खास में उसका नाम ईशरी देवी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपना नाम उपरोक्त राजस्व अभिलेख महाल ननवार, चढ़ियार खास में दुरुस्त करके ईसरां देवी करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24–10–2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/NT/C/2024 तारीख दायरा : 29–10–2024 तारीख पेशी : 28–11–2024

सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह, वासी महाल नंगल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में सुरिन्द्र कुमार पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगन नाथ, वासी महाल नंगल दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत गोरालधार व राजस्व अभिलेख महाल नंगल में सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगर नाथ दर्ज है। जो कि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल कस्बा में सुरिन्द्र कुमार उपनाम सुरिन्द्र मोहन सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र जगन नाथ के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28–11–2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29–10–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24–03–2009 को गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29–11–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न

होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैहन के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।